

प्रपत्र-23

परियोजना का नाम:- पोल्थूशन अबेटमेंट आफ रिवर कोसी ऐट रामनगर (नैनीताल)।

वन अधिकार अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत अनापत्ति प्रमाण-पत्र ग्राम
पंचायत का नाम टेडा तहसील रामनगर जिला नैनीताल

अनापत्ति प्रमाण-पत्र

उत्तराखण्ड में जिला नैनीताल के अन्तर्गत उपरोक्त वर्णित परियोजना के निर्माण हेतु (0.9488 हे० आरक्षित वन भूमि, शून्य हे० सिविल एवं सोयम वन भूमि शून्य हे० वन पंचायत भूमि, अर्थात् कुल 0.9488 वन भूमि) का निर्माण शाखा, उत्तराखण्ड पेयजल निगम, रामनगर प्रयोक्ता एजेन्सी के पक्ष में भारत सरकार, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय द्वारा प्रत्यावर्तित करने हेतु आवेदन प्रस्तुत किया गया।

उक्त प्रकरण के विषय में ग्राम पंचायत टेडा द्वारा दिनांक 12/09/16 को सम्पन्न ग्राम सभा/ग्राम पंचायत की बैठक में प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा आवेदित वन भूमि के सम्बन्ध में अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत करने हेतु विस्तृत चर्चा की गई। यह कि वन अधिकार अधिनियम, 2006 के प्राविधानों के तहत आवेदित वन भूमि में आदिवासी अथवा किसी गैर आदिवासी का कब्जा/कृषि कार्य अथवा नहीं। उपस्थित सभी ग्रामवासियों द्वारा स्पष्ट किया गया कि उक्त वन भूमि में किसी भी आदिवासी अथवा गैर आदिवासी का कब्जा/कृषि कार्य नहीं किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त परियोजना के निर्माण हेतु आवेदित वन भूमि पर ग्रामवासियों के परम्परागत अधिकारों का हनन नहीं हो रहा है।

चर्चा के उपरान्त ग्राम सभा द्वारा सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया/प्रस्ताव पारित किया गया कि ग्राम टेडा के ग्रामवासियों को उक्त वन भूमि निर्माण शाखा, उत्तराखण्ड पेयजल निगम, रामनगर प्रयोक्ता एजेन्सी को परियोजना के निर्माण हेतु दिये जाने पर कोई आपत्ति नहीं है।

प्रमाणित किया जो सत्य एवं सही है।

ह०
ग्राम सचिव
ग्राम पंचायत
वि०ख० रामनगर (नैनीताल)

ह०/-
अनिल कुमार
ग्राम प्रधान
ग्राम पंचायत-टेडा
वि०ख० रामनगर (नैनीताल)

नोट:- यदि किसी आदिवासी अथवा वनवासी की निजी भूमि प्रवाहित हो रही है, तो तदनुसार उसका विवरण उक्त प्रपत्र में दिया जाए।

उक्त प्रपत्र प्रयोक्ता एजेन्सी के द्वारा प्राप्त कर प्रस्ताव के साथ संलग्न किया जाना है।

ग्राम सचिव
ग्राम पंचायत
वि०ख० रामनगर (नैनीताल)

